COURT FEE Rs.10 INDIA TEN RUPEES

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प उज्जैन

प्रकरण कमांक /2013–14 निगरानी R-3395-I/14

भारतसिंह पिता श्री शंकरसिंह, जाति–राजपुत
निवासी–ग्राम उज्जैनिया, तहसील घट्टिया
जिला उज्जैन -- निगरानीकर्ता

-- विरूद्ध --

मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार घट्टिया
------ प्रत्यर्थी

उज्जैन कैम्प
(0425195821)
उज्जैन कैम्प
प्राप्त 17/9/14

30-9-14

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 23/अ–12/2013–14 में पारित प्रतिवेदन दिनांक 09/06/2014 से दुखित व क्षुब्ध होकर निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, ~~अपीलार्थी~~ निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के समक्ष स्वयं के स्वामित्व एवम् आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नं. 1598 रकबा 1.21 हे. के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिसमें दिनांक 05/06/2014 को सीमांकन किया गया तथा सीमांकन की कार्यवाही मौके पर एक पंचनामा बनाया गया जिसमें केवल मौके सीमांकन के संबंध में लिखा गया । उक्त पंचनामे में बाद में कांट–छांट कर निगरानीकर्ता की भूमि में से रास्ता होना बताते हुए रास्ता बन्द नही करने का आदेश पारित कर दिया गया जबकि राजस्व निरीक्षक द्वारा एवम पटवारी हल्का द्वारा पारित कर दिया गया भी पंचनामे में राजस्व निरीक्षक द्वारा एवम पटवारी हल्का द्वारा पारित कर दिया गया कोई अधिकार पटवारी एवम् राजस्व

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3395-एक/14 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। 3 **प्रशासकीय सदस्य**	